10. विश्वस्त मण्डल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) :

(क) गठन : वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्द्रह (15) सदस्यीय विश्वस्त मण्डल का निम्नलिखित अनुसार गठन करेंगे। इस विश्वस्त मंडल का कार्यकाल चार (4) वर्ष का रहेगा। इस विश्वस्त मण्डल का एक चेयरमैन रहेगा। चेयरमैन का चुनाव विश्वस्त मंडल के सदस्य ही करेंगे।

(अ) वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	3
(आ) जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व पदाधिकारियों में से वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	4
(इ) वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रत्येक जोन से एक	5
(ई) वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा द्वारा नियुक्त	3
कुल	15

(ख) कामकाज :

(अ) जैन कॉन्फ्रेंस की अचल सम्पत्ति, 12 शहीद भगत सिंह मार्ग-नई दिल्ली स्थित जैन भवन तथा सभी अचल सम्पत्तियों एवं उनके दस्तावेजों को सुरक्षा प्रदान करना।

(आ) राष्ट्रीय प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित अचल सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करके अंतिम निर्णय लेकर आगे की कार्यवाई करने के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महामंत्री को निर्देशित करना।

(इ) अचल सम्पत्तियों के मरम्मत एवं देखरेख आदि कार्य के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्देश देना।

(ई) स्थाई जमा कोषों को सुरक्षा प्रदान करना। वर्तमान कार्यकाल में जमा कोष के अलावा स्थाई कोष का जब भी उपयोग करना हो तो राष्ट्रीय प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा में पारित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर अनुमति देगी।

(उ) विवाद एवं मुकदमों की स्थिति में विश्वस्त मंडल किराया एवं अतिथि गृह द्वारा प्राप्त अनुदान/राशि प्राप्त कर सकेगा।

(ऊ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा बढ़ाये गये छः (6) माह की अवधि के कार्यकाल में भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न नहीं कराते हैं तो विश्वस्त मण्डल कार्य भार संभाल लेगा एवं अगले 6 माह में चुनाव सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा। उस दरमियान आर्थिक मामले एवं बैंक खातों का संचालन विश्वस्त मंडल के चेयरमैन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष करेंगे।

(ए) विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन, यदि राष्ट्रीय चुनाव समिति में राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रीय सह-चुनाव अधिकारियों में से एक की राष्ट्रीय मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेंगे एवं राष्ट्रीय सह-चुनाव अधिकारी के रिक्त पदों की भी नियुक्ति करेंगे। यदि राष्ट्रीय चुनाव समिति के सभी

रविवार, दिनांक 3 मई 2026 को जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय प्रबंध समिति सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा एवं साधारण सभा में पारित संशोधित संविधान :

10. विश्वस्त मण्डल (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) :

(क) गठन : वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक विश्वस्त मण्डल गठित करेंगे। उक्त विश्वस्त मण्डल का कार्यकाल गठन की तारीख से आगे 5 वर्ष का होगा। इस विश्वस्त मण्डल से ही (अ से उ तक) के सदस्यों में से ही एक सदस्य को चेयरमैन के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। जिसका चुनाव, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा। चौबीस (24) सदस्यीय विश्वस्त मण्डल का निम्नलिखित अनुसार गठन करेंगे। चेयरमैन का चुनाव विश्वस्त मण्डल के सदस्य ही करेंगे।

1. नोट : सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वस्त मण्डल के पदेन सदस्य होंगे, यह संख्या क्रमशः बढ़ती जाएगी।

(अ) वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	3
(आ) जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व पदाधिकारियों में से वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	4
(इ) वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रत्येक ज़ोन से एक	5
(ई) वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा द्वारा नियुक्त	3
(उ) श्रमण संघ के प्रतिनिधि (आचार्यश्री द्वारा मनोनीत 1 सदस्य)	1
(ऊ) श्रमण संघ के प्रतिनिधि (युवाचार्यश्री द्वारा मनोनीत 1 सदस्य)	1
(ए) विशेष/प्रोफेशनल जैसे एडवोकेट, सी.ए., आर्किटेक्ट आदि	1
(ऐ) उच्च शिक्षाविद	1
(ओ) दानदाता प्रतिनिधि (दानराशि-विश्वस्त मण्डल द्वारा निर्धारित)	2
(औ) जैन दर्शन के विशेष जानकार	1
(अं) महिला प्रतिनिधि	1
(अः) युवा प्रतिनिधि	1
कुल	24

2. नोट: ऊपर दिए हुए ए से अः तक के सदस्यों का मनोनयन विश्वत मण्डल चेयरमैन द्वारा किया जाएगा और विश्व मण्डल के चेयरमैन विश्वस्त मण्डल के सदस्यों में वाईस चेयरमैन एवं समन्वयक का मनोनयन करेंगे। विश्वस्त मंडल के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान होने वाले चुनाव में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विश्वस्त मण्डल के पदेन

पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाते हैं तो ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन अपनी निगरानी में चुनाव के घोषित तारीख को चुनाव कार्यक्रमानुसार चुनाव सम्पन्न करायेंगे ।

(ग) कार्यकाल : विश्वस्त मण्डल का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, परन्तु जब तक नये विश्वस्त मण्डल का गठन नहीं होता तब तक पुराना विश्वस्त मण्डल काम करता रहेगा । नये विश्वस्त मण्डल की नियुक्ति के साथ ही पूर्वकालीन विश्वस्त मण्डल स्वतः भंग माना जायेगा । विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहेंगे । विश्वस्त मण्डल में हुए रिक्त स्थान की पूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे ।

(घ) सूचना : सभा की सूचना 14 दिन पूर्व डाक/ई-मेल/एस. एम. एस./फोन या सदस्य रहेंगे। विश्वस्त मण्डल के सभी सदस्य चयनित या मनोनीत, सभी सदस्य श्रमण संघ में श्रद्धा रखने वाले एवं जैन कॉन्फ्रेंस के आजीवन सदस्य ही होना अनिवार्य होगा।

प्रोटोकॉल : चेयरमैन विश्वस्त मण्डल की सभाओं में प्रथम स्थान पर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा में द्वितीय रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वाईस चेयरमैन राष्ट्रीय महामंत्री तथा समन्वयक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के बाद रहेंगे।

पारित संविधान : (अ), (अ), (इ), (ई), (उ), (ऊ) तथा (ए) यथावत रहेगा

(ऐ) डिजिटल प्लेटफार्म का निर्माण करना और उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु राष्ट्रीय प्रबंध समिति को निर्देश देना और नियमित रूप से संचालित करना।

(ओ) श्रमण संघ एवं जैन कॉन्फ्रेंस के मध्य समन्वय बनाना।

(औ) प्रांतीय जैन भवन, विहारधाम, उच्च शिक्षा संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के निर्माण के सम्बंध में निर्णय लेना, सहयोग राशि प्राप्त करना तथा सुनियोजित विनियोग करना एवं संचालन हेतु नियम-उपनियम बनाना।

(अं) देशभर में निर्माण होने वाले प्रान्तीय जैन भवन, विहारधाम, जैन कॉन्फ्रेंस मुख्यालय, नवनिर्मित स्थायी स्थलों इत्यादि पर नामकरण हेतु लगने वाले शिलालेख स्थापित करने हेतु नियम /उपनियम बनाना एवं राष्ट्रीय अध्यक्षों को निर्देश देना।

(अः) (औ) उपर दिए हुए (औ) में लिखित में लिखित कार्य करने हेतु बैंक खाता संचालन : विश्वस्त मण्डल का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाएगा।, उस खाते का संचालन विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन तथा समन्वयक तीनों में से किन्हीं दो (2) के अधिकृत हस्ताक्षर से किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के पश्चात् इ एवं ई के सदस्य नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में यदि इन मनोनीत को सदस्यों को मनोनीत करने हेतु चुनाव करने का आवलंबन करना पड़ा तो उन परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा में चुनाव किया जाएगा।

ग) किसी स्थिति में विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन पद की रिक्तता होने पर विश्वस्त मण्डल के सदस्य उपर लिखित सदस्यों में से नए चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे। यह नियुक्ति विश्वस्त मण्डल के शेष कार्यकाल को पूरा होने के समय तक ही रहेगी।

पारित संविधान:

(ग) कार्यकाल : विश्वस्त मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, परन्तु जब तक नये विश्वस्त

मण्डल का गठन नहीं होता तब तक पुराना विश्वस्त मण्डल काम करता रहेगा। नये विश्वस्त मण्डल की नियुक्ति के साथ ही पूर्वकालीन विश्वस्त मण्डल स्वतः भंग माना जायेगा। विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहेंगे। विश्वस्त मण्डल में हुए रिक्त स्थान की पूर्ति विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन द्वारा की जाएगी।

(घ) यथावत रहेगा।

पारित संविधान :

(ङ) सभा-अध्यक्षता : विश्वस्त मण्डल की वर्ष में कम से कम चार (4) सभा अवश्य होंगी, जिसमें से 2 सभाएं ऑनलाईन, इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में 48 घण्टे या उससे कम समय की पूर्व सूचना पर ऑनलाईन या इलैक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से बुलाई जा सकती है। जिसे विश्वस्त मण्डल के चेयरमैन बुलायेंगे एवं उसकी अध्यक्षता भी स्वयं करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में चेयरमैन द्वारा मनोनीत वाईस चेयरमैन सभा की अध्यक्षा कर सकेंगे।

पारित संविधानः

(च) गणपूर्ति (कोरम) : विश्वस्त मण्डल की सभा में उपस्थित ग्यारह (11) विश्वस्तों का कोरम होगा। कोरम के अभाव में सभा रद्द मानी जायेगी।

नोट : विश्वस्त मण्डल को संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा, वह केवल प्रस्तावना/सिफारिश करेगा। विश्वस्त मण्डल के संविधान/प्रावधान में कोई बदलाव करना हो तो विश्वस्त मण्डल की सभा में ऑन लाईन या ऑफ लाईन उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से विश्वस्त मण्डल की प्रस्तावना/सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को राष्ट्रीय प्रबंध समिति सभा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

रविवार, दिनांक 3 मई 2026 को जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय प्रबंध समिति सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा एवं साधारण सभा में पारित संशोधित संविधान :

अध्याय - प्रांतीय जैन भवन स्थापना, ट्रस्ट गठन एवं संचालन :

1. उद्देश्य :

राष्ट्रव्यापी संगठन विस्तार, धर्मप्रचार, समाजसेवा, संस्कार निर्माण तथा संत-साध्वी सेवा की पूर्ति हेतु प्रत्येक राज्य में "जैन भवन" की स्थापना की जाएगी।

2. भूमि प्राप्ति :

(क) प्रत्येक राज्य में जैन भवन हेतु भूमि की मांग राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा संबंधित राज्य सरकार से की जाएगी।

(ख) भूमि सम्मेलन/अधिकृत केन्द्रीय निकाय के नाम पर प्राप्त की जाएगी।

(ग) भूमि क्रय अथवा प्राप्ति में विशेष आर्थिक सहयोग देने वाले प्रमुख दानदाता को सम्मानार्थ आजीवन चेयरमैन का पद प्रदान किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय समिति की संरचना :

राष्ट्रीय समिति का गठन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशविरा करके करेंगे:

योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष	1
योजना राष्ट्रीय चेयरमैन	1
योजना राष्ट्रीय मंत्री	1
योजना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	5
योजना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	1
योजना राष्ट्रीय प्रमुख मार्गदर्शक	2
योजना सदस्य	4
कुल सदस्य	**15**

4. प्रांतीय जैन भवन ट्रस्ट बोर्ड :

(क) निर्माण, वित्तीय बंधन एवं संपत्ति संरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में "प्रांतीय जैन भवन ट्रस्ट बोर्ड" योजना सदस्य जैन भवन द्वारा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से होगी। गठित किया जाएगा।

(ख) यह ट्रस्ट बोर्ड केन्द्रीय निकाय के साथ लिखित समझौत (एग्रीमेन्ट/एम.ओ.यू.) के अधीन कार्य करेगा।

(ग) ट्रस्ट बोर्ड की लेखा व्यवस्था पूर्णतः पृथक (Separate Accounting) होगी तथा केन्द्रीय खातों में विलय नहीं होगी।

(घ) वार्षिक ऑडिट अनिवार्य होगा तथा प्रतिवेदन केन्द्रीय निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. संयुक्त संचालन समिति :

(क) प्रत्येक जैन भवन के संचालन हेतु अधिकतम 15 सदस्यों की संयुक्त "संचालन समिति" हर प्रांत जैन भवन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी।

(ख) समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

1. केन्द्रीय ट्रस्ट बोर्ड से	5
2. प्रांतीय जैन भवन ट्रस्ट बोर्ड से	5 (अधिक संख्या होने पर निर्वाचन द्वारा)
3. प्रांतीय शाखा से	5
4. प्रांतीय अध्यक्ष	1
5. प्रांतीय युवा अध्यक्ष	1
6. प्रांतीय महिला अध्यक्षा	1
7. प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	2

6. पद संरचना :

संचालन समिति में निम्न पद होंगे:

1 - चेयरमैन (भूमि क्रय में तथा जैन भवन निर्माण में विशेष सहयोग देने वाले दानदाता-आजीवन)

(उन्हें आवश्यक परिस्थिति में Nominee नियुक्त करने का अधिकार होगा)

अध्यक्ष (प्रांतीय अध्यक्ष ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष होंगे।)	1
कार्याध्यक्ष	1
उपाध्यक्ष	3
महामंत्री	1
मंत्री	3
कोषाध्यक्ष	1
शेष कार्यकारी सदस्य	4
कुल सदस्य	15

7. कार्यकाल :

(क) संचालन समिति का कार्यकाल राष्ट्रीय सम्मेलन (Centre) के चुनाव के अनुरूप होगा।

(ख) नई केन्द्रीय कार्यकारिणी के गठन के पश्चात् संचालन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

(ग) चेयरमैन का पद आजीवन रहेगा।

8. बैंक खाता एवं वित्तीय तत्वावधान :

(क) संचालन समिति का पृथक बैंक खाता होगा।

(ख) खाते का अन्य खातों में विलय नहीं किया जाएगा।

(ग) 3 अधिकृत हस्ताक्षरी होंगे।

1 - Central Quota से

1 - Prantiya Trust Quota से

1 - Prantiya Shakha Quota से

(घ) किसी भी लेन-देन हेतु 3 में से कम से कम 2 हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

9. दाता सम्मान :

(क) निर्माण में विशेष सहयोग देने वाले दानदाताओं के नाम सभागार, कक्ष, पुस्तकालय अथवा अन्य भागों पर सम्मानपूर्वक प्रदर्शित किए जा सकेंगे।

(ख) नाम प्रदर्शन से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

10. नियम-उपनियम संशोधन अधिकार :

(क) जैन भवन के नियम एवं उपनियम केन्द्रीय सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे।

(ख) केन्द्रीय ट्रस्ट बोर्ड 2/3 बहुमत से इन नियमों की समीक्षा, संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकेगा।

(ग) ऐसा निर्णय संबंधित राज्य ट्रस्ट बोर्ड एवं संचालन समिति पर बाध्यकारी होगा।

11. संपत्ति स्वरूप :

जैन भवन की भूमि, भवन एवं अचल संपत्ति सम्मेलन की अविभाज्य संपत्ति मानी जाएगी तथा विक्रय/हस्तांतरण केवल राष्ट्रीय स्तर की स्वीकृति से संभव होगा।

विहार धाम योजना एवं समिति निर्माण - संविधान

श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत

रविवार, दिनांक 3 मई 2026 को जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय प्रबंध समिति सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सभा एवं साधारण सभा में पारित संशोधित संविधान :

प्रस्तावना :

जैन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं गुरु भगवंतों की सुविधा हेतु प्रत्येक नगर/क्षेत्र में "विहार धाम" की स्थापना, निर्माण, रख-रखाव एवं संचालन हेतु यह संविधान लागू किया जाता है। यह सारे विहारधाम श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में संचालित होंगे।

धारा 1 : नाम

"(नगर/प्रात), विहारधाम समिति-अधीनस्थ श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस"

धारा 2 : उद्देश्य

1. विहार कर रहे संत भगवंतों हेतु मर्यादित एवं सुरक्षित निवास की व्यवस्था।
2. उनके विहार, आहार, साधना एवं प्रवचन व्यवस्था का संयोजन।
3. जैन समाज के लिए धर्मचर्चा, प्रवचन, सामायिक, स्वाध्याय आदि हेतु स्थान उपलब्ध कराना।
4. किसी पंथ, गच्छ या व्यक्ति विशेष का प्रचार नहीं करना सर्व साधु भगवंतों के लिए समान सम्मान।
5. समी कार्य जैन मर्यादा, अहिंसा, अपरिग्रह व सादगी के सिद्धांतों पर आधारित रहेंगे।

धारा 3 : संरचना

(अ) पदाधिकारी :

योजना अध्यक्ष	1
योजना उपाध्यक्ष	2
योजना सचिव	1
योजना सह-सचिव	1
योजना कोषाध्यक्ष	1
कुल	**6**

(ब) कार्यकारिणी सदस्य :

1. न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 सदस्य

2. विहारधाम योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री स्थायी सदस्य होंगे।

धारा 4 : नियमावली

1. विहारधाम का भूमि स्वामित्व जैन कॉन्फ्रेंस के नाम पर होगा या उसकी सहमति से स्थानीय ट्रस्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. संतों की नियुक्ति/स्वागत विहारधाम समिति या राष्ट्रीय स्तर से अनुशंसा पर हो।
3. कोई भी स्थानीय व्यक्ति व्यक्तिगत स्वामित्व या नियंत्रण न रखे।
4. विहारधाम में केवल वर्तमान में विहार कर रहे संत ही ठहर सकते हैं।
5. रसोई व्यवस्था पूर्णतः सात्विक, बिना आग, जल व शुद्ध नियमों के अनुरूप हो।
6. संतों के विहारकाल में श्रद्धालुओं द्वारा आहार दान, सेवा आदि की मर्यादा बनाई जाए।
7. विहारधाम में किसी भी प्रकार का राजनैतिक या पंथीय विवाद वर्जित होगा।

धारा 5 : आय एवं व्यय

1. आय - समाज के दान, सहयोग राशि, सीएसआर आदि से प्राप्त करना।
2. खर्च - भवन निर्माण, रख-रखाव, संतों की सेवा आदि में खर्च करना।
3. वार्षिक लेखा परीक्षण C.A. द्वारा अनिवार्य।
4. बैंक खाता विहारधाम समिति के नाम से दो अधिकृत हस्ताक्षरों द्वारा संचालित।

धारा 6 : बैठक व निर्णय प्रक्रिया

1. मासिक या त्रैमासिक बैठक आवश्यक।
2. आपातकालीन निर्णय हेतु अध्यक्ष को विशेषाधिकार।
3. हर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।

धारा 7 : राष्ट्रीय निगरानी

1. सभी विहारधामों का रजिस्ट्रेशन श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस में अनिवार्य।
2. विहारधाम योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक राष्ट्रीय विहारधाम निरीक्षण मंडल नियुक्त किया जाए जो सभी विहारधामों की निगरानी, मर्यादा एवं रिपोर्टिंग का कार्य करें।
3. कोई भी स्थानीय समिति राष्ट्रीय समिति की अनुमति के बिना किसी संत को स्थायी निवास की अनुमति नहीं दे सकती।

पारा 8 : विहार धाम की एकरूपता (Uniformity Guidelines) :

1. भवन की संरवना - साधारण, वातानुकूलन रहित, शांत व साधना योग्य।
2. नामपट्ट - श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस विहारधाम (दानदाता/भूमिदाता का नाम)

3. प्रतीक - कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्धारित प्रतीक चिह्न व ध्वज हर विहारधाम में लगाया जाए।

4. संचालन नियम सभी विहारधाम एक समान हों।

5. भवन में कोई निजी मूर्ति, चित्र या परिवार विशेष का नाम अंकित करने हेतु राष्ट्रीय विहारधाम समिति की मान्यता आवश्यक रहेगी।

धारा 9 : विवाद समाधान

स्थानीय विवाद पहले प्रांतीय समिति, फिर राष्ट्रीय समिति द्वारा सुलझाया जाएगा। अंतिम निर्णय जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का होगा।

धारा 10 : संशोधन

कोई भी संशोधन केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।